

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 230/25

दिनांक:- 3/10/25

उनवान

श्री शंकर लाल पुत्र मंगी लाल
नि. CKB

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ सलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का CKB-A भू अ. नि. CKB एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम CKB प0 ह0 CKB-A की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 340 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	नाम में अशुद्धि	शंकर लाल पुत्र मंगी लाल शेक अंक बरवाड़ा जमाबन्दी	शंकर लाल पुत्र मंगी लाल शेक अंक बरवाड़ा जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं. 230/25)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री शंकर लाल पुत्र मंगी लाल ।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

